पत्र संख्या–1/आई०एम०एल०–04/2008, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **राज्य योजना, अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर योजना के वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रथम चौमाही (दिनांक–01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए ₹3,88,74,000=00 (रूपये तीन करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹74,25,000=00 (रूपये चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गत वर्षो की भाँति वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रथम चौमाही (दिनांक–01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मदों में प्रावधानित क्रमशः सामान्य श्रेणी के लिए **₹3,88,74,000**=00 (रूपये तीन करोड़ अठासी लाख चौहत्तर हजार) एवं अनुसूचित जाति के लिए ₹74,25,000=00 (रूपये चौहत्तर लाख पच्चीस हजार) अर्थात् कुल ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्न प्रकार से प्रदान की जाती हैः–

2 (i) **उक्त स्वीकृत राशि सामान्य श्रेणी के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए**–मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–114– उत्प्रवासी श्रम कल्याण–उप शीर्ष–0102–अन्तर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड–26–2230011140102) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध हैः–

विषय शीर्ष	
0102–16–01–प्रकाशन एवं मुद्रण	99,000
योग–26–2230.01.114.0102.16–प्रकाशन और मुद्रण	**99,000**
0102–20–03–प्रशिक्षण व्यय	330
योग–26–2230.01.114.0102.20–अन्य प्रशासनिक व्यय	**330**
0102–21–01–सामग्री एवं पूर्तियाँ	16,500
योग–26–2230.01.114.0102.21–सामग्री एवं पूर्तियाँ	**16,500**
0102–26–01–विज्ञापन और प्रकाशन	2,31,000
योग–26–2230.01.114.0102.26–विज्ञापन और प्रकाशन	**2,31,000**
0102–31–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	3,85,11,000
योग–26–2230.01.114.0102.31–सहायक अनुदान	**3,85,11,000**
0102–37–01–अनुग्रह अनुदान	16,170
योग–26–2230.01.114.0102.37–अनुग्रह अनुदान	**16,170**
योग–26–2230.01.114.0102–अन्तर्राज्जीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	3,88,74,000
योग–लघु शीर्ष–26–2230.01.114–उत्प्रवासी श्रम कल्याण	**3,88,74,000**

(ii) **अनुसूचित जाति के मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों के लिए**–मुख्य शीर्ष–2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास–उप मुख्य शीर्ष–01–श्रम–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–उप–शीर्ष–0103–अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय (विपत्र कोड–26–2230017890103) के अन्तर्गत निम्न इकाईयों में राशि का उपबंध है:–

विषय शीर्ष	
0103–31–06–सहायक अनुदान–गैर वेतन	74,25,000
योग–26–2230.01.789.0103.31–सहायक अनुदान	**74,25,000**
योग–26–2230.01.789.0103–अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को पुनर्वासी पर व्यय	**74,25,000**

अर्थात् (i)+(ii) के तहत कुल राशि ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र।

3. वित्तीय वर्ष 2026–27 में प्रथम चौमाही (दिनांक–01.04.2026 से 31.07.2026 तक) के लिए कुल उपबंधित राशि ₹4,62,99,000=00 (रूपये चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र का व्यय निम्न प्रकार होगा:–

(क)	प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना मृत्यु पर व्यय ₹4,00,000=00 X 105	= 4,20,00,000=00
(ख)	प्रवासी मजदूरों के अपंगता पर व्यय (क) आंशिक अपंगता ₹50,000=00 X 10	= 5,00,000=00
	(ख) पूर्ण अपंगता ₹1,00,000=00 X 10	= 10,00,000=00
(ग)	प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुँचाने पर व्यय 105 प्रवासी मजदूर X ₹1000	= 1,05,000=00
(घ)	मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुँचाने पर व्यय	= 23,31,000=00
(ड.)	पुनर्वापसी के पश्चात् भोजन, नास्ता, वस्त्र, दवा आदि पर अनुसूचित व्यय –3 प्रवासी मजदूर X ₹500	= 1500=00
(च)	घर पहुँचाने पर 30 दिन का राशन पर–10 प्रवासी मजूदर X ₹1500	= 15,000=00
(छ)	योजना के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक आदि की छपाई पर व्यय	= 99,000=00
(ज)	योजना के प्रचार–प्रसार का प्रपत्र आदि की छपाई पर व्यय	= 2,31,000=00
(झ)	प्रशिक्षण व्यय	= 330=00
(ञ)	अनुग्रह अनुदान	= 16,170=00
		₹4,62,99,000=00

(चार करोड़ बासठ लाख निन्यानवे हजार) मात्र

4. यह चालू योजना है।

5. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०सं०–176/टि० पर प्राप्त है।

6. इस योजना के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/श्रमायुक्त के सचिव/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त एवं सभी श्रम अधीक्षक होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी श्रमायुक्त, बिहार होंगे।

7. इस राशि की निकासी बिहार भवन, कोषागार, नई दिल्ली/विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/संबंधित जिला के जिला कोषागार से होगी।

8. प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पृ०सं०–176/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/आई०एम०एल०–04/2008, श्र०सं०..... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/आई०एम०एल०–04/2008, श्र०सं०..... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/आई०एम०एल०–04/2008, श्र०सं०.....2299 पटना, दिनांक– 22-04-2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/श्रमायुक्त, बिहार बजट शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा–02, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।